न्यायालय, उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, लातेहार।

दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद संख्या-125/2023

कान्ती देवी

बनाम्

निरसा देवी

—: आदेश :—

प्रस्तुत वाद की प्रक्रिया अपीलार्थी कान्ती देवी द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, लातेहार के दाखिल खारिज अपील वाद संख्या—03/2020—21 में दिनांक 19.03.2023 को पारित आदेश के विरूद्ध दाखिल आवेदन के अलोक में प्रारम्भ किया गया तथा दोनों पक्षों को स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया।

नोटिस प्राप्ति के पश्चात् दोनों पक्ष अपने—अपने अधिवक्ता के माध्यम से इस वाद में उपस्थित हुए तथा द्वितीय पक्ष द्वारा अपने दावे के समर्थन में लिखित प्रतिउत्तर दाखिल किया गया।

प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि ग्राम—अलौदिया, थाना—चन्दवा, जिला—लातेहार अवस्थित खाता संख्या—35, प्लॉट संख्या—462 जमीन के मालिक अब्बास मियां पिता—स्व0 पीर अली थे एवं वे सरकार को जमीन का लगान भी अदा करते थे। अब्बास मियां ने खाता संख्या—35 प्लॉट संख्या—462 की रकबा—0.08 एकड़ जमीन को निबंधित केवाला के माध्यम से देवेन्द्र कुमार साहु एवं श्रीमती भगवती देवी को बेच दिया, जिसके बाद उक्त दोनों क्रेता के नाम पर उक्त जमीन का दाखिल खारिज हो गया और वे सरकार को लगान अदा करने लगे। इसके बाद दोनों क्रेता देवेन्द्र कुमार साहु एवं श्रीमती भगवती देवी ने उक्त 0.08 एकड़ खरीदगी जमीन का मौखिक बंटवारा कर दोनों अपने—अपने हिस्से की भूमि चार—चार डीसमिल जमीन पर काबिज हो गए। भगवती देवी ने अपने हिस्से की जमीन पर 436 Squre feet में पक्का मकान का निर्माण कराया गया। देवेन्द्र कुमार साहु ने भी अपने हिस्से की 04 डी0 जमीन को प्रतिवादी निराशा देवी को केवाला के माध्यम से दिनांक 11.11.2019

जमीन को प्रतिवादी निराशा देवी को केवाला के माध्यम से दिनांक 11.11.2019 को बेच दिया।

भगवती देवी के मृत्यु के उपरान्त उनके हिस्से की जमीन एवं उसपर निर्मित मकान उनके बेटे योगेन्द्र कुमार को हिस्से में प्राप्त हुआ। योगेन्द्र कुमार अपने हिस्से की भूमि रकबा–1.34 डी0 जमीन के साथ–साथ उसपर निर्मित मकान को निबंधित केवाला के माध्यम से दिनांक 08.01.2020 को इस वाद के अपीलार्थी कान्ती देवी को बेच दिया। तत्पश्चात् कान्ती देवी अपनी खरीदगी जमीन एवं मकान के दखल–कब्जा में आ गई। प्रतिवादी द्वारा भूमि के नामान्तरण के लिए अंचल अधिकारी, चन्दवा के यहां आवेदन दाखिल किया गया कि मेरे द्वारा विक्रेता देवेन्द्र कुमार साहु से भूमि क्रय किया गया है, जिसका दाखिल–खारीज वाद नं0–361/2019–20 था। प्रतिवादी के उक्त दाखिल–खारिज वाद पर आवेदक द्वारा अंचल अधिकारी, चन्दवा के समक्ष आपत्ति दर्ज कराया गया कि जिस भूमि के दाखिल खारिज के लिए आवेदन किया गया है। उक्त भूमि को निरासा देवी द्वारा गलत चौहदी के साथ भूमि का क्रय किया गया है। चूकि उक्त भूमि को विक्रेता योगेन्द्र प्रसाद से मेरे द्वारा जमीन के साथ–साथ निर्मित मकान को भी क्रय किया गया है। प्रतिवादी द्वारा दाखिल खारिज के लिए प्रस्तुत आवेदन में वर्णित भूमि पर मेरा (कान्ती देवी) का दखल–कब्जा है। इसके बाद अंचल अधिकारी ने वादी के आपत्ति को मानते हुए प्रतिवादी के दाखिल–खारिज वाद संख्या–361/2019–20 को दिनांक 12.12.2020 को यह लिखते हुए अस्वीकृत कर दिया गया कि दाखिल–खारिज के लिए प्रस्तावित भूमि पर विवाद है तथा सक्षम न्यायालय का आदेश संलग्न नहीं है। उक्त आलोक में नामान्तरण को अस्वीकृत कर दिया गया। उक्त अंचल अधिकारी, चन्दवा के आदेश के विरूद्ध प्रतिवादी द्वारा कोई अपील दायर नहीं किया गया। प्रतिवादी द्वारा अंचल अधिकारी, चन्दवा के समक्ष पुनः देवेन्द्र कुमार से क्रय भूमि के दाखिल खारिज के लिए आवेदन दिया गया, जिसका दाखिल खारिज वाद नं0–244/2020–21 है। अंचल अधिकारी, चन्दवा ने बिना अपने पूर्व के आदेश को स्मरण में लेते हुए प्रतिवादी के पक्ष में दिनांक 26.11.2020 को भूमि का दाखिल खारिज आदेश पारित कर दिया गया, जो नियम के विरूद्ध है।

अंचल अधिकारी, चन्दवा द्वारा दिनांक 26.11.2020 को प्रतिवादी के पक्ष में पारित दाखिल खारिज आदेश के विरूद्ध वादी द्वारा भूमि सुधार उप

समाहर्त्ता, लातेहार के समक्ष विविध अपील वाद संख्या–03/2020–21 दायर किया गया, जिसमें नोटिस प्राप्ति के पश्चात् प्रतिवादी उपस्थित होकर अपना प्रतिउत्तर दाखिल किया गया। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, लातेहार के द्वारा "Physical Enquiry Report" की मांग अंचल अधिकारी, चन्दवा से पत्रांक संख्या–382 दिनांक 27.04.2023 से की गयी। अंचल अधिकारी, चन्दवा से "Physical. Enquiry Report" बिना प्राप्त किये बैक डेट में दिनांक 19.03.2023 को आदेश पारित कर दिया गया, जिसमें वादी के अपील को खारिज कर देते है, जो सरासर गलत एवं गैरकानूनी है। इसी विविध वाद संख्या–03/2020–21 में पारित आदेश के विरूद्ध वादी द्वारा यह दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद लाया गया है।

प्रतिवादी द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से दाखिल प्रतिउत्तर में कहा गया है कि वाद में प्रश्नागत भूमि को विक्रेता देवेन्द्र कुमार उर्फ देवेन्द्र कुमार साहू ने अपनी मां भगवती देवी के साथ संयुक्त रूप से पुराना खाता संख्या–35, पुराना प्लॉट संख्या–462, नया खाता संख्या–42, नया प्लॉट संख्या–882 कुल रकबा–08 डी0 जमीन की अब्बास अंसारी पिता–पीर अली अंसारी से जिसकी चौहदी उत्तर–प्लॉट नं0–460, दक्षिण–रास्ता, पूरब–जमीर अंसारी, पश्चिम–निज रास्ता, निबंधित केवाला के माध्यम से खरीद किये एवं दाखिल–खारिज कराकर केवाला के अनुसार अपने–अपने चार–चार डीसमील जमीन पर कब्जा–दखल मे आये एवं जिसके बाद प्रतिवादी के विक्रेता देवेन्द्र कुमार उर्फ देवेन्द्र कुमार साहु को अपने 0.04 ए0 जमीन जिसकी चौहदी उत्तर–असगर खान, दक्षिण–रास्ता, पूर्व से पूरब–भगवती देवी, पश्चिम–निज को प्रतिवादी को निबंधित केवाला के माध्यम से दिनांक 11.11.2019 को बेच दिया तथा उक्त जमीन के दखल कब्जा में प्रतिवादी आ गये और अपना दाखिल–खारिज करा लिया। प्रतिवादी का यह भी कथन है कि वादी ने गलत तरीके से योगेन्द्र कुमार साहु से हिस्से से अधिक बिक्री केवाला में गलत चौहदी अर्थात कुल रकबा–08 डी0 जमीन का फ्रंट साईड अर्थात रोड दर्ज कराकर विक्री केवाला का निष्पादन कराया है। इसलिए वादी का दाखिल–खारिज आवेदन संख्या–01/2020–21 अंचल अधिकारी द्वारा खारिज कर दिया गया है, जिसके विरूद्ध वादी के द्वारा आज तक उक्त खारिज आदेश के विरूद्ध किसी प्रकार का अपील नहीं किया गया है। प्रतिवादी का कहना है कि वादी प्रश्नगत

जमीन से किसी प्रकार का वास्ता सरोकार नहीं रहा है तथा अंचल अधिकारी, चन्दवा एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, लातेहार द्वारा पारित आदेश बिल्कुल विधि के अनुरूप है। इसलिए अपीलार्थी का आवेदन खारिज करने योग्य है।

दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्को को सुना एवं स्मरण में रखा। अभिलेख के साथ संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया। दोनों पक्षकारों ने अपने–अपने केवाला के माध्यम से एक ही खाता–प्लॉट की जमीन का क्रय किया है। वाद में प्रश्नागत भूमि कुल रकबा–0.08 एकड़ को भगवती देवी एवं देवेन्द्र कुमार साहू के द्वारा संयुक्त रूप से खरीदा गया है। देवेन्द्र कुमार साहू द्वारा अपने हिस्से की भूमि रकबा–0.04 ए0 भूमि को निबंधित केवाला सं0–2087 दिनांक–11.11.2019 के माध्यम से इस वाद के विपक्षी निराशा देवी के साथ बिक्री कर दिये, जिसकी चौहदी उत्तर में असगर खान दक्षिण में रास्ता पूर्व से पूरब में भगवती देवी एवं पश्चिम में नीज विक्रेता वो रास्ता पूर्व से दर्ज है। उसी खाता प्लॉट की भूमि अपीलार्थी कान्ती देवी द्वारा विक्रेता योगेन्द्र कुमार पिता स्व0 रंजीत कुमार से निबंधित केवाला सं0–136 दिनांक–08.01.2020 से क्रय किया गया है, जिसकी चौहदी उत्तर में देवेन्द्र कुमार साहु दक्षिण में पी0सी0सी0 रोड पूरब में जमीर अंसारी एवं पश्चिम में पूर्व से रास्ता दर्ज है। इस प्रकार स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा पहले भूमि का क्रय किया गया है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, लातेहार के न्यायालय द्वारा विविध अपील वाद संख्या–03/2020–21 में दिनांक 19.03.2023 को पारित आदेश को बहाल रखते हुए अपीलार्थी के अपील आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

आदेश की प्रति उभय पक्ष, अंचल अधिकारी, चन्दवा तथा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, लातेहार को उपलब्ध करायें। अभिलेख को जिला अभिलेखागार में जमा करें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
लातेहार।

उपायुक्त,
लातेहार।

Digitally signed by Garima Singh
Date: 2024.04.18 12:42:01 +05:30
Location: 192.168.203.92